

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड प्रथम अजमेर (राज.)

(Email :- ee.phed@yahoo.in)

दिनांक : 22/12/2022



फोन नं. 0145-2620476

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2022-23/अंके तृतीय/ 5511-5515

उप वन संरक्षक,
वन विभाग, अजमेर

विषय:-

Diversion of 0.0578 hectre of providing, laying and jointing, testing and commissioning of pipe line, construction of 2 Nos. RCC GLR of capacity of 100 KL construction of Pump house with EMI works with electric sub station on Single Responsibility basis turnkey job for water supply scheme Chilla-Jinda Madar Shah, Ajmer (Rajsathan Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. Proposal No. FP/RJ/WATER/13429/2015

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के कार्यादेश क्रमांक 12325-328 दिनांक 23.09.2013 एवं आपके कार्यालय के पत्रांक 9062 दिनांक 28.09.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके कार्यालय का सन्दर्भित पत्र उक्त प्रकरण में श्रमिक दर में बढ़ोतरी होने से वृक्षारोपण हेतु अंतर राशि जमा कराने हेतु इस कार्यालय को लेखन किया गया था। अतः पत्र में उल्लेखित मांग पत्र अनुसार सशोधित अंतर राशि जमा कराने का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	राज्य सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1 (49) वन/2016 जयपुर द्वारा दिनांक 29.12.2016 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली अंतर राशि	वि.वि.
01	शर्त संख्या 09 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किये जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते राशि वेबपोर्टल OSMFWCP (Online Submission and Monitoring of Forest & Wild File Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से जमा की जायेगी। परिभाषित वन भूमि पर (100 वृक्षों हेतु) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की वर्तमान मजदूरी दर 259/- अनुसार हैं। न्यूनतम वृक्षारोपण 100 वृक्षों हेतु प्रस्तावित हैं। पूर्व में प्रस्तावित प्राक्कलन 230000/- में नवीन श्रमिक दरों 259/- अनुसार राशि की गणना की गई हैं। कुल राशि 279680/-में से पूर्व में जमा राशि 105000/- को घटाया जाने उपरान्त अंतर राशि 174680/- जमा करावें।	174680/-	उप वन संरक्षक, वन विभाग, अजमेर के पत्रांक 9062 दिनांक 28.09.2022 द्वारा जारी मांग पत्र को ई-चालान संख्या 5313429006 दिनांक 15.12.2022 राशि रु. 193857.00 जमा करवा दिया गया है। (प्रति संलग्न)
02	शर्त संख्या 11 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण सक्षम स्तर से एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई दरों के अनुसार धन राशि नियमानुसार जमा कराई जानी हैं। वर्तमान में दिनांक 06.01.2022 से भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी किये जाने से नवीन राशि वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई-चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई-चालान की छायाप्रति जमा की ई धन राशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित	19177/-	
क्र.सं. 01 से 02 का योग		193857.00	

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(एस.एल.जीनगर)

अधिशाषी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

नगर खण्ड प्रथम अजमेर

दिनांक : 22/12/2022

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2022-23/अंके पंचम/ 5511-5515

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक अजमेर।
3. अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त अजमेर।
4. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड पंचम अजमेर को देकर लेख है कि उप वन संरक्षक अजमेर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वर्णित कार्यवाही सम्पादित करावें।

(एस.एल.जीनगर)

अधिशाषी अभियन्ता

ECS Slip Details

DDO Name	: 9409(XEN.PHED CITY DIV. I NALGODAM AJMER)	Month / Year	: December / 2022
Bill Name	: 4215 MNP Urban	Bill No - Date	: 43167027 - 15/12/2022
Cash Amount	: 193857.00	Gross Amount	: 215181.00
Value Date (Process Date)	: 21/12/2022	TV NO.	: 91068
Soft Copy No	: EPV80114001586201054202212211184	TV Date	: 21/12/2022


अधिकाारी अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग
नगर खण्ड-प्रथम, अजमेर